



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-47/2023-24

सरकार

बनाम्

पंकज यादव

—: आदेश :—

दिनांक 20/11/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला देवडाँड़ थाना काण्ड संख्या-03/2023 दिनांक-02.02.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-3063/अप0शा0 दिनांक-05.07.2023 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0-RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं0-MBNTFAEXANRE01489) टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0-RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं0-MBNTFAEXANRE01489) टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन

नं०—RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं०—MBNTFAEXANRE01489), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं०—275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं०—RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं०—MBNTFAEXANRE01489), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक पंकज यादव, पिता—राजेन्द्र यादव, सा०—गोविन्दपुर, पो०—बाघमारा तहसिल, देवडौड़, थाना—देवडौड़, जिला—गोड्डा, के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं०—275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं०—RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं०—MBNTFAEXANRE01489), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर लदे बालू के विरुद्ध धारा—379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी को कारण—पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी पंकज यादव का कथन है कि विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के ए०बी०ए० नं०—4737/2023 के आदेश दिनांक—02.06.2023 के द्वारा अग्रिम जमानत मिल गया है। विपक्षी का उक्त जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है एवं विपक्षी न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर देवडौड़ थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं०—275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं०—RNE7ECN1559 एवं चेचिस

सं०—MBNTFAEXANRE01489), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

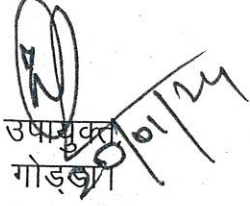
वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दोगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
इंजन नं०—RNE7ECN 1559 एवं चेचिस सं०—MBNTFAEXA NRE01489)	00	100	4000.00	8000.00	00	8000.00

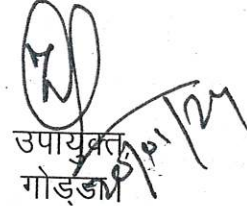
एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं०—275 DI TUSPPLUS, ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं०—RNE7ECN1559 एवं चेचिस सं०—MBNTFAEXANRE01489), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक

लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा